शिकायतकर्ता :
चंद्रकला ठाकुर
पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर
पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना -141007
Mob. 79735-71454

दिनांक : 23.08.2017

सेवा में,

Sh. Suresh Arora, IPS
DGP/Punjab
4th Floor Punjab Police H.Q.,
Sector 9a, Chandigarh - 160009
Mob. 73074-37788

विषयः झूठी शिकायत पर तुरंत F.I.R. के मामले में सच्चाई सामने लाने के लिये उपलब्ध तकनीकी सबूतों को तुरंत सीज़ करके सर्टिफाईड सी.डी. दिये जाने बाबत्|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना -141007 Mob. 79735-71454) हूँ| मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को 19 अगस्त 2017 को पुलिस से मिलकर झूठी शिकायत पर तुरंत F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 को दर्ज करते हुये उन्हें झूठे मामले में शिकायत व F.I.R. No. 0343/2017 दर्ज होने से पहले ही सुबह 5.00am बजे गिरफ्तार किया गया लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश जो डी.के.बासु और अर्नेश कुमार आदि मामलों में दिये गये हैं व लुधियाना पुलिस की वेबसाईट http://ludhianapolice.in/ पर सिटिज़न चार्टर में भी बताया जा रहा है, का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया| ज्ञात रहे कि, इसके पहले भी इसी तरह षडयंत्र करके F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को गिरफ्तार किया गया था और हथकड़ी लगाकर मौहल्ले में घुमाने की शिकायत पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को जाँच का आदेश दिया था उससे बचने के लिये फिर से दुबारा झूठी शिकायत, जो सुबह 8.50am बजे रजिस्टर की गई लेकिन सुबह 5.00am बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया|

इस मामले में पुलिस कमिश्नर, लुधियाना भी दोषी हैं इसलिये इस मामले में तुरंत निम्न कार्यवाही करते हुये तकनीकी सबूतों को सील करके सत्यापित सी.डी. व दस्तावेज दिये जायें व सीज करें|

1. दिनांक 18.08.2017 के दिन रात 8.30pm से 10.00pm के बीच की निम्न मोबाईल नंबरों की लोकेशन सर्टिफाईड दस्तावेज़ के साथ उपलब्ध करायें|

a. मुकेश ठाकुर मोबाईल नं. 81467-61055, 98153-31427, 92561-58958

b. लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद मोबाईल नं. 73554-27270

c. जोगिन्दर सिंह मोबाईल नं. 98151-75204, अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की मोबाईल नंबर 99888-50660, सुखदेव सिंह मोबाईल नंबर 98888-99908 व इन सभी के अन्य मोबाईल नंबर जो यह लोग उपयोग करते हैं

2. जोगिंदर सिंह के दरवाजे को लक्ष्य करके लगाये गये CCTV कैमरे की दिनांक 18.08.2017 की रात 8.30 से 10.00 बजे के बीच की CCTV Footage सील करके दी जाये|

3. दिनांक 15.08.2017 की सुबह 11.00am बजे से 20.08.2017 की शाम 5.00pm बजे तक की पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल के अन्दर जाने वाले सभी रास्तों में लगे CCTV कैमरे की Footage व शिकायत खिड़की के पास लगे CCTV कैमरे की फुटेज सील की जाये व दी जाये|

4. दिनांक 19.08.2017 को सुबह 5.00am बजे मेरे व लकी के घर पर आये सभी पुलिसकर्मियों के नाम व मोबाईल नंबर तुरंत रिकॉर्ड पर लेकर दिये जाये व उन पुलिसकर्मियों की 19.08.2017 के दिन सुबह 4.00~~pm~~AM बजे से 20.08.2017 की शाम 9.00pm बजे तक की मोबाईल लोकेशन की सत्यापित कॉपी ली जाये व दी जाये|

5. बस्ती जोधेवाल के पुलिसकर्मियों जिनके बैल्ट नंबर व नाम निम्न हैं कि दि. 19.07.2017 के दिन की दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच की मोबाईल लोकेशन सील करते हुये सत्यापित कॉपी दी जाये

a. CT मनोज गुप्ता बेल्ट नंबर 3071

b. CT अरूणदीप सिंह बेल्ट नंबर 3342

c. ASI सुलखान सिंह बेल्ट नंबर 855

6. जिस गाड़ी से मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व लकी को गिरफ्तार करके ले जाया गया उस गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड पर लिया जाये और वह गाड़ी, जिस मेन रोड़ पर चली, उस रोड़ पर स्ट्रीट लाईटों के खंबों में लगे सरकारी कैमरों की दिनांक 19.08.2017 को सुबह 4.00am से लेकर 10.00am तक की CCTV Footage सील की जाये व दी जाये|

7. मारूती गाड़ी नंबर PB 08 BZ 4512 दिनांक 19.08.2017 के दिन शाम 3.30pm से 4.30pm के बीच 'क्राईम इंवैस्टीगेशन एजेंसी (CIA)' के दफ्तर के प्रांगण में मौजूद थी उस गाड़ी के CIA दफ्तर पहुँचने के व वापसी के समय के हिसाब से 3.00pm से 5.00pm के बीच की उन स्ट्रीट लाईट के खंबों पर लगे सरकारी कैमरों की फुटेज सील की जाये जिस रास्ते से यह गाड़ी CIA दफ्तर में जाती है और बाहर आती है|

8. दिनांक 19.08.2017 के दिन शाम मारूती गाड़ी नंबर PB 08 BZ 4512 थाना बस्ती जोधेवाल से लगभग 2.30pm बजे के आसपास चली, उस समय की उस गाड़ी में बैठनेवालों की CCTV Footage सील की जाये|

9. CIA दफ्तर में दिनांक 19.08.2017 को शाम 3.30pm बजे के बाद किस-किस को गिरफ्तार करके लाया गया, उनकी रजिस्टर इंट्री को सील किया जाये व वहाँ मौजूद CCTV कैमरों की दिनांक 19.08.2017 को शाम 3.00pm से 7.00pm बजे के बीच की फुटेज सील की जाये व दी जाये|

10. अमृतपाल सिंह उर्फ विकी, सुखदेव सिंह, जोगिन्दर सिंह, ASI स्वर्ण सिंह और ACP/North सचिन गुप्ता आदि सभी के मोबाईल नंबरों की कॉल डीटेल्स की सत्यापित कॉपी ली जाये व दी जाये|

मेरे बेकसूर बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को इंसाफ दिलाने व न्याय की रक्षा के लिये उन तकनीकी सबूतों को नष्ट होने से पहले सील किया जाये व मुझे सत्यापित कॉपी व सी.डी. दी जाये|

आपसे निवेदन है कि, आप तीनों F.I.R. (F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017; F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017; F.I.R. NO 343/2017 दिनांक 19.08.2017) व 107/151 धाराओं के तहत दर्ज की गई F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 में पढ कर खुद निर्णय ले सकते हैं कि झूठे मामले में बेकसूर लोगों को फँसाया गया और Paytm से गैर-कानूनी तरीके से निकाले गये रुपयों के मामले में सबूत होने के बावजूद F.I.R. तक नहीं ली गई| ज्ञात रहे कि, पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) आरोपी पुल इंस्पैक्टर के दोस्त हैं| इसलिये उपरोक्त सबूतों की सत्यापित कॉपी/सी.डी. दी जाये और इस पूरे मामले की जांच 'विशेष जाँच टीम (SIT)' का गठन करके की जाये और दोषी पुलिसवालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये|

चन्द्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
(शिकायतकर्ता)

<u>संलग्न दस्तावेज़ :</u>

- आपकी जानकारी के लिये व कार्यवाही के लिये पहली F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 किस तरह झूठी है उसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, लुधियाना व पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी गई है, वह साथ में संलग्न है|

प्रतिलिपी :

- DIG/SSP LUDHIANA
- Bureau of Investigation, Pb. Chg
- DGP/Punjab
- Governor of Punjab
- CBI Director
- Punjab State Human Rights Commission